

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58 अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0)-462011

क्रमांक एफ 53-05/09/तीन/1440

भोपाल, दिनांक 5/12/2009


प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त (म0प्र0)

विषय:-नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 के लिये मतगणना के दौरान राउण्डवार परिणामों की उद्घोषणा बावत्।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा एवं विधान सभा में मतगणना के दौरान प्रत्येक राउण्ड के परिणामों की घोषणा करने का प्रावधान है। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 के लिये महापौर/अध्यक्ष के निर्वाचन परिणामों के राउण्डवार परिणामों की उद्घोषणा किये जाने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है। महापौर/अध्यक्ष पद की मतगणना के रुझान की घोषणा 50 टेबिलों की गणना पूर्ण होने के बाद आरंभ की जा सकती है।

नगरीय निकायों के पार्षद पद की मतगणना के परिणामों की उद्घोषणा के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक कार्यवाही की जाए।


(अनुपम सैनी)
सचिव

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्रमांक 0755-2555527

भोपाल, दिनांक 5/12/2009

पृ0क्रमांक एफ-53-05/09/तीन/1441
प्रतिलिपि:-

समस्त सम्भागीय आयुक्त, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।


सचिव

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल